न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19 / 2022 (2022 / 243) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मैसर्स भोमिया बाबा माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर अनिल कुमार आत्मज कांतिप्रसाद गुप्ता निवासी मानसरोवर जयपुर तहसील व जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. महेन्द्र सिंह —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—23.11.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 762 रकबा 1.40 है0, आराजी संख्या 763 रकबा 1.38 है0, आराजी संख्या 764 रकबा 1.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.18 है0 भूमि ग्राम झलामली पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अंकित आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता छातोल से नाबरिया जाने वाले सरकारी रास्ता की आराजी संख्या 483, 570 गै.मु. रास्ता से होकर ग्राम छातोल की बिलानाम आराजी संख्या 435 जो उक्त रास्ते से लगती हुई है से सीधा प्रार्थी की आराजी की पूर्वी सीमा में 30 फीट चौड़े रास्ते से प्रवेश करता है और मौके पर विद्यमान है। प्रार्थी सदैव से अपनी उक्त वर्णित आराजी में आवागमन, पैदल, संज, बैल, बैलगाड़ी आदि से आवागमन उक्त का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन बाबत् उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता विद्यमान नही है जिससे प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन का रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त आवागमन के उक्त रास्ते जो मौके पर विद्यमान है जिसे कोई भी व्यक्ति बंद कर प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सकते है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम झलामली तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 763 व 764 में आवागमन का रास्ता ग्राम छातोल की आराजी संख्या 483, 570 गै.मु. रास्ता से छातोल की बिलानाम आराजी संख्या 435 जो लगती हुई है से प्रार्थी की ग्राम झलामली की आराजी संख्या 763 व 764 की सीमा तक सीधे सीधे प्रार्थी की आराजी की पूर्वी सीमा दोनो आराजियात की [illegible] 30 फीट चौड़े रास्ते को बिलानाम दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार [illegible]

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम झलामली के खसरा नम्बरान् 762, 763, 764 मैसर्स भोमिया बाबा मांईस एण्ड मिनरल के नाम दर्ज रेकार्ड होकर उपरोक्त खसरा नम्बरान पर आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम झलामली के स्थित होकर पूर्व के खातेदार से ही आवागमन ग्राम झलामली के खसरा नम्बर 758, 759 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे आवागमन करते थे उपरोक्त खसरा नम्बर 758, 759 खातेदारी भूमि में दर्ज रेकार्ड है तथा रास्ता की तरह 8—10 फीट

थोड़ी भूमि पड़ी हुई है जिससे सदैव आवागमन करते थे जो इसके वैकल्पिक रास्ते के रूप में उपयोग में की जा रही है। अब यह खसरा नम्बर 762, 763, 764 में माईन्स लगाकर खनन कार्य करना चाहते है। जिससे इनके साधन जे.सी.बी.ट्रेक्टर, ट्रेलर के आवागमन हेतु इस तरफ आवागमन नही कर पास ही स्थित सीमा ग्राम छातोल के खसरा नम्बर 435 बिलानाम सरकारी दर्ज रेकार्ड है जिससे रास्ता दर्ज कराना चाहते है। ग्राम छातोल के बिलानाम खसरा नम्बर 435 में प्रार्थीगणो द्वारा रास्ता चाहा गया है उस स्थान पर कोई रास्ता मौके पर नही होकर किसी भूमि का रास्ता के रूप में प्रार्थीगण फर्म द्वारा कोई भूमि में नही ली जा रही है। नवीन रास्ता रेकार्ड में कराकर उपयोग में लेना चाहता है। वर्तमान में ग्राम छातोल की ओर से बिलानाम खसरा नम्बर 435 मे से होकर उपरोक्त फर्म का कोई आवागमन व रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है नवीन रास्ता दर्ज कराना चाहते है। माननीय न्यायालय के आदेश व श्रीमान् के आदेशानुसार मौके स्थिति अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम झलामली 762, 763, 764 में उपरोक्त दोनो स्थिति के अतिरिक्त और कोई बिलानाम रास्ता उपयोग का नही है जिससे आवागमन किया जा सके। आदेश की पालना में फर्म की मांग के अनुसार ग्राम छातोल के बिलानाम काबिल काश्त खसरा नम्बर 435 मे से लम्बाई में 255 मीटर व चोड़ाई में 9 मीटर कुल रकबा 0.23 है0 यानि 2300 वर्गमीटर भूमि नया रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त भूमि की डीएलसी दर अनुसार टीआरए रिपोर्ट संलग्न है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में रास्तेनुमा भूमि पड़ी हुई है जिसको रास्ते के रूप में काम आ रही है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 762, 763, 764 में आवागमन हेतु विपक्षी की ग्राम छातोल की आराजी संख्या 435 रकबा 3.18 है0 मे से रकबा 0.23 [illegible] भूमि ([illegible]00 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 206908 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 47[illegible] / —[illegible]ये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 95178 / —रूपये मुआवजा राशि [illegible] को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम [illegible] जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19 / 2022 (2022 / 243) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मैसर्स भोमिया बाबा माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर अनिल कुमार आत्मज कांतिप्रसाद गुप्ता निवासी मानसरोवर जयपुर तहसील व जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 762, 763, 764 में आवागमन हेतु विपक्षी की ग्राम छातोल की आराजी संख्या 435 रकबा 3.18 है0 मे से रकबा 0.23 है0 भूमि (यानि 2300 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 206908 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 47589 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 95178 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 16:00:44 IST
Reason: SelfAttested